



भारतीय रेल
डीजल रेल इंजन कारखाना
वाराणसी-221004, भारत |
Indian Railways (Government of India)
Diesel Locomotive Works
Varanasi-221004, India.



Office : General Manager/(P).
Tele : 0542-2642700
Fax : 0542-2270102
E mail : cpo@dlw.railnet.gov.in

PASS-20
No : GM(P)/ER/Pass -Pt-1

Date : 10.09.2020

All Concerned
Dlw/Varanasi, Sealdh,Camp Office,
New Delhi.

Copy :-

- Joint Secretary and other staff council members.
- Secretary SC/ST and OBC Association.
- Secretary, RREA/DLW.

Sub:-Modification in the All India Leave Travel Concession (AILTC) Scheme to facilitate unblocking of Privilege Pass Account in exceptional circumstances.

A Copy of Railway Board's letters No. E(W)2020/PS5-1/3, Dated -31.08.2020 is forwarded herewith for information and guidance.

DA:- 05 Pages

(P. Minj)
Assistant Personnel Officer/Staff
For General Manager(P)

Copy for information and necessary action:-

1. Ch.OS Pass Section, GM(P)W.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. E(W)2020/PS5-1/3

New Delhi, dated 31.08.2020

The General Managers (P)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Modification in the 'All India Leave Travel Concession' (AILTC) Scheme to facilitate unblocking of Privilege Pass Account in exceptional circumstances.

Ref: Board's letter No. E(W)2017/PS5-1/3 dated 10.09.2018.

The Scheme of AILTC, as notified vide Board's above referred letter, does not contain any provision for unblocking/reopening of Privilege Pass Account (PPA), after issuance of Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC)/Confirmation Note(CN). Consequent to the national lockdown to contain the spread of COVID-19 pandemic and suspension of tourism activities, the Railway Servants who have surrendered their Privilege Passes and obtained PPSC could not avail AILTC. Requests are being received from the affected employees for cancellation of their PPSCs and to reopen their PPA.

2. In order to mitigate the difficulties being faced in this regard by the Railway Servants, it has been decided with the approval of the Competent Authority to modify the restrictive provision contained in Para 4(viii) of Board's letter cited under reference, by substituting the same as follows:-

"4(viii) Request for cancellation of PPSC and re-opening of PPA will be entertained only in exceptional cases. In such case, the applicant will submit an application to PIA, explaining the reasons for non-availing of AILTC with supporting documents, if any. The application must accompany the original PPSC and a Certificate to the effect that "the applicant has not drawn any LTC Advance or returned the advance drawn in full in accordance with the Rules regarding grant of LTC advance and adjustment thereof, as contained in CCS (LTC) Rules, 1988" from the Section handling LTC Claims. A decision on the request will be taken on the grounds whether the circumstances stated by the applicant are beyond his/her control or otherwise and by an officer of SAG level in the Personnel Department overseeing the Pass Section as Competent Authority. If approved by the Competent Authority, the PPSC as well as CN (wherever applicable), may be treated as 'cancelled' and PPA unblocked/reopened for the respective year. In such cases where both husband and wife are Railway Servants and their PIAs are different, decision taken will also be intimated to PIA who has issued "Confirmation Note" to facilitate unblocking of PPA of the spouse. Request for issue of a fresh PPSC/CN will not be entertained in the same calendar year."

5. Zonal Railways and PUs may note the above procedure and dispose of the requests, if any, accordingly.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(V. Muralidharan)

Dy. Director Estt. (Welfare)-I
Railway Board

No. E(W)2020/PS5-1/3

New Delhi, dated .08.2020

Copy to:-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.


31/08/20


for Financial Commissioner/Railways

Copy forwarded to:-

- (i) Director (GA), Railway Board.
- (ii) Computer Cell/C&IS, Railway Board for uploading on MoR's website for information of all concerned.
- (iii) As per standard list.

Copy also forwarded for information to:-

- (1) The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- (2) The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
- (3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi.
- (4) The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- (5) The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
- (6) The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
- (7) The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- (8) The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
- (9) The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- (10) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- (11) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- (12) The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- (13) The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan, New Delhi.
- (14) The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan, New Delhi.



for Secretary/Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3

नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां

विषय: सुविधा पास खाते को आपवादिक परिस्थितियों में अनब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 'अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत' (एआईएलटीसी) योजना में आशोधन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.09.2018 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/3.

बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र के तहत यथा अधिसूचित एआईएलटीसी योजना में सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाण-पत्र (पीपीएससी)/पुष्टि नोट (सीएन) जारी करने के बाद सुविधा पास खाते (पीपीए) को अनब्लॉक/रिओपन करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगने के उपरांत रेल सेवक, जिन्होंने अपने सुविधा पास अभ्यर्पित कर दिए थे और पीपीएससी प्राप्त कर लिया था, एआईएलटीसी की सुविधा का लाभ नहीं उठा सके। प्रभावित कर्मचारियों द्वारा उनके पीपीएससी को रद्द करने और उनके पीपीए को रिओपन करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस संबंध में रेल सेवकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से, बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र के पैरा 4 (viii) में अंतर्विष्ट प्रतिबंधात्मक प्रावधान को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आशोधित करने और निम्नानुसार बदलने का विनिश्चय किया गया है।

“4 (viii) पीपीएससी को रद्द करने और पीपीए को रिओपन करने के अनुरोध को केवल आपवादिक मामलों में ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामलों में, आवेदक पीआईए को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वे एआईएलटीसी योजना का लाभ न उठा पाने के कारण स्पष्ट करेंगे और उसके समर्थन में दस्तावेज़, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ मूल पीपीएससी और एलटीसी दावों का कार्य देखने वाले अनुभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि “आवेदक ने एलटीसी अग्रिम नहीं लिया है या लिया हो तो केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 में यथा अंतर्विष्ट एलटीसी अग्रिम देने और तत्संबंधी समायोजन नियमों के अनुसार वापस कर दिया है”। इस अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के रूप में पास अनुभाग को नियंत्रण करने वाले कार्मिक विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि क्या आवेदक द्वारा उल्लिखित परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण के बाहर थी अथवा नहीं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने पर, पीपीएससी और सीएन (जहां पर भी लागू हो), को रद्द समझा जाए और संबंधित वर्ष के लिए पीपीए को अनब्लॉक/रिओपन किया जाए। ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों रेल सेवक हैं और उनके पीआईए अलग-अलग हैं, इस संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में 'पुष्टि नोट' जारी करने वाले पीआईए को

पति/पत्नी के पीपीए को अनब्लॉक करने हेतु सूचित किया जाएगा। उस कैलेंडर वर्ष में नए पीपीएससी/सीएन जारी करने के लिए पुनः अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

5. क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां कृपया उक्त प्रक्रिया को नोट करें और तदनुसार इससे संबंधित अनुरोध, यदि कोई हों, का निपटान करें।
6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)

उप निदेशक, स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3

नई दिल्ली, दिनांक .08.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:-

भारत के उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

जितेंद्र
31/08/20

कृते वित्त आयुक्त/रेलें


प्रतिलिपि प्रेषित:-

- i. निदेशक (जीए), रेलवे बोर्ड।
- ii. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड को सभी संबंधितों के सूचनार्थ रेल मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- iii. मानक सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

8. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसएसए, कमरा नं.439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे एम्प्लोईज़ फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन 
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड